

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-51839

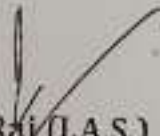
Dated 30.11.2021

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **34.9618 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **H.P.S.E.B. for Construction of Transmission line from Slapper to Kothipura** which falls in jurisdiction of **Village Khater, Beri Rajadiya, Salnu, Jangal Bransh, Binola, Baggi, Sihra, Bandla, Parnali, Jabali, Garnaal, Sai Ferdaya, Nauni, Padgal, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**

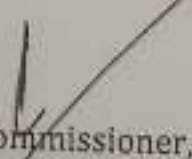
It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **34.9618 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

  
**Pankaj Raj (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 30.11.2021

Endst No- as above-51839

Copy to the Sr. Executive Engineer, ES Division HPSEBL Bilaspur for further necessary action.

  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

Attested

  
District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

Office of the Deputy Commissioner  
District Bilaspur (Himachal Pradesh)

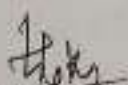
FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

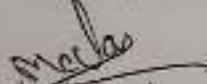
Proceedings of the meeting of District Level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

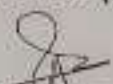
A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Pankaj Rai, I.A.S., Deputy Commissioner, Bilaspur on 25-11-2021 at 11-00 A.M. at Bilaspur in which the following applications was discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sub Division Sadar, District Bilaspur, H.P.

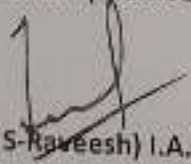
| Sr.No. | Total Land      | Purpose.                                                             |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.     | 34.9618 hectare | Construction of Transmission line from Slapper to Kothipura (AIIMS). |

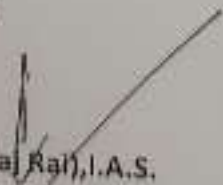
1.   
(Muskan)  
Zila Parishad. (Member)

2.   
(Prem Singh),  
Zila Parishad. (Member)

3.   
(Madan Kumar)  
Zila Parishad. (Member)

4.   
(Awani Bhushan Rai) I.F.S.  
Divisional Forest Officer  
Distt. Bilaspur (H.P.)  
(Member)

5.   
(Torul S. Raveesh) I.A.S.  
Additional Deputy Commissioner,  
Bilaspur, H.P. (Member Secretary)

6.   
(Pankaj Rai), I.A.S.  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
(Chairman)

Attested

  
District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

No. BLS-SDM-SDK-FRA/2015:- 9678

Date:- 15/11/2021

To

The Deputy Commissioner-Cum-Chairperson,  
District Level committee,  
Distt. Bilaspur, ( H.P.)

Sub:-

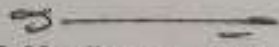
Proceeding of meeting of Sub-Division Level Committee regarding FRA certificate for the diversion of forest land for construction of Transmission line from slapper to Kothipura (AIIMS) Area measuring 34.9618 Hectare falls in Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

Sir,

The meeting of the Sub-Divisional level Committee of Bilaspur Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 03.11.2021 in which case for the diversion of forest land measuring 34.9618 Hectare falls in Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP) under FRA, 2006 dully processed and recommended by the Gramm Sabha FRA committee was discussed . The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

DA:- As above

Yours faithfully,

  
SDO (Civil)-Cum- Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur (HP).

Attested

  
District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)



Proceeding of the meeting of Sub-Division Level Committee of Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 held on 03.11.2021 at Bilaspur under the Chairmanship of Sub-Division Magistrate, Bilaspur, (HP) regarding consideration and issuing FRA certificate for :-

Diversion of forest land for the construction of Transmission line from slapper to Kothipura (AIIMS) Area measuring 34.9618 Hectare related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

The following officers/members were present in the meeting:-

- |    |                                                |                  |
|----|------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Sh. Subhash Gautam, HAS                        | Chairman         |
|    | Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur            |                  |
| 2. | Sh. Hari Singh Yadav Tehsildar Sadar, Bilaspur | Member Secretary |
| 3. | Sh. Sameer Forest Block Officer, Bilaspur      | Member           |
| 4. | Smt Sita Devi, Panchayat Member R/o Tared.     | Member           |
| 5. | Smt Sapna, Panchayat Member Khater.            | Member           |
| 6. | Smt Sapna, Panchayat Samiti Member, Gahar.     | Member           |

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that the case for diversion of forest land for the construction of Transmission line from slapper to Kothipura (AIIMS) Area measuring 34.9618 Hectare under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees of 14. No. revenue villages of Sub Division Sadar, District Bilaspur HP. The detail of the villages is enlisted as below :-

(i) Khater (ii) Beri Raudliya (iii) Sahau (iv) Jangal bransh (v) Binola (vi) Baggi (vii) Sihra (viii) Bandla (ix) Farnali (x) Jabali (xi) Garna (xii) Sai Ferdaya (xiii) Nauni (xiv) Paddgal. Total Villages rakba = 34.9618 Hect.

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

  
Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

Attested

  
District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

## DISTRICT BILASPUR (HP).

### Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), **Bilaspur** on date 3.11.2021 at **11.00 AM** at **Bilaspur** (Place) where in Diversion of forest land for the construction of Transmission line from slapper to Kothipura (AIIMS) Area measuring 34.9618 Hectare related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP) was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions found that no any claim was received and the case regarding issuance of FRA certificate as per the Recommendation of FRA committees of villages (i) Khater (ii) Beri Rajadiya (iii) Salnu (iv) Jangal bransh (v) Binola (vi) Baggi (vii) Sihra (viii) Bandla (ix) Parnali (x) Jabal (xi) Garna (xii) Sai Ferdaya (xiii) Nauni (xiv) Paddgal. Total Villages rakba = 34.9618 Hect., is recommended for admission to the District Level Committee.

| Sr. No | Name of Applicant | Name of Forest | Detail of Forest Right |
|--------|-------------------|----------------|------------------------|
|        |                   |                |                        |

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

| Sr. No | Name of Applicant | Name of Forest | Detail of Forest Right |
|--------|-------------------|----------------|------------------------|
|        |                   |                |                        |

Place: Bilaspur  
Date: 03.11.2021

SDO(Civil)-cuChairman/Chairperson,  
Sub-Division Level Committee,  
Bilaspur, Sub-Division.

Attested  
  
District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)



वन अधिकार समिति

जबली

ग्राम पंचायत खुन्नापुरा तहसील खैर जिला बिलासपुर हि०प्र०

आज दिनांक 05-10-2021 को वन अधिकार समिति ग्राम जबली की बैठक अध्यक्ष श्री सुख राम की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या - 01

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line Kangra to AIMS Kathipura के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की गंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र। (Area 0.4034 Hec)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया:-

| क्र० | नाम व पता / पति का नाम   | पदनाम  | ग्राम | हस्ताक्षर |
|------|--------------------------|--------|-------|-----------|
| 1    | सुख राम S/O रामविहारी    | प्रधान | जबली  |           |
| 2    | रीता देवी W/O राजीव सिंह | साथी   | "     |           |
| 3    | नन्द लाल S/O अमर राम     | सदस्य  | "     |           |
| 4    | राम पाल S/O निरंजन राम   | "      | "     |           |
| 5    | हरि राम S/O धनी राम      | "      | "     |           |
| 6    | लख राम S/O नानक          | "      | "     |           |
| 7    | रोशन लाल S/O निरंजन      | "      | "     |           |
| 8    | सुनीता देवी W/O राम लाल  | "      | "     |           |
| 9    | सोमा देवी W/O राम लाल    | "      | "     |           |
| 10   |                          |        |       |           |

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 KV की Transmission Line Kangra to Kathipura AIMS निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले वन भूमि का अनुमति पत्र उपरोक्त सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बंधित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव कार्यवाही के अनुरूप है।

प्रधान   
वन अधिकार समिति

District Revenue Office  
District Bilaspur (H.P.)

रीता देवी  
साथी

वन अधिकार समिति  
ग्राम पंचायत खुन्नापुरा

वन अधिकार समिति  
ग्राम पंचायत खुन्नापुरा

26/10/2021

वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की नान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा खुनाथपुर

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 05-10-2021

वन अधिकार समिति ग्राम सभा खुनाथपुर की बैठक आज दिनांक 05-10-

को बजे, स्थान जबली में श्री / श्रीमति सुरेश

राम अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की नान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जबली जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.

विभाग द्वारा Transmission Line Kangoo to Arimo Kothipura के निर्माण के

लिए 0.4034 हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मजदूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए वक्तव्यों के वन अधिकारों अर्पणों पर चर्चा की गई

। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र.सं. | पात्र गांव वाली का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्योरा |
|---------|------------------------|-------------|---------------------|
|         |                        |             | <u>FRA जबली</u>     |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

| क्र.सं. | पात्र गांव वाली का नाम |
|---------|------------------------|
|         | <u>NIL</u>             |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

प्रमाण रीता देवी सचिव  
वन अधिकार समिति  
राजख गांव जबली  
ग्राम पंचायत खुनाथपुर  
रादर, बिलासपुर (हि.प्र.)

Attested  
District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

अधिकृत्य सुरेश सचिव  
वन अधिकार समिति  
जबली  
रादर, बिलासपुर (हि.प्र.)



# Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति जबली  
 मुहाल सभा का नाम  
 ग्राम पंचायत का नाम खुन्नापुर  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या  
 उपस्थित सदस्य संख्या ०१  
 प्रतिनिधि वरिष्ठ

प्रस्ताव संख्या ०१  
 मुहाल जबली की बैठक आज दिनांक ०५-१०-२०२१ को ११-०० बजे  
 स्थान जबली में श्री/श्रीमति सुरव राम की अध्यक्षता में की गई  
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें ०१ जबली मुहाल के अनु  
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अनु  
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेद  
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर  
 चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्योरा:-

| उ० सं | पत्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब |
|-------|----------------------|-------------|----------------|
|       |                      |             | FRA Jabli      |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति  
 प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| संख्या | पत्र गांववासी के नाम |
|--------|----------------------|
|        | Nil                  |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल जबली में का  
 वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज  
 वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के  
 अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के  
 मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार ही माने गये।

26/10/2021 PIC  
 1-64-1-1  
 District Revenue Officer  
 District Bilaspur (H.P.)  
 73



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा  
पिकरस जंज सदर जिला बिलासपुर हि.प्र.  
दिनांक 05-10-2021

प्रस्ताव संख्या 01

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV  
Transmission Line Kangoo to AIIMS Kothipura के निर्माण  
हेतु जंगली जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.7037  
हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा की बैठक आज दिनांक 05-10-2021  
को 11:00 बजे स्थान जंगली में की  
गई, जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV  
Transmission Line Kangoo to Kothipura ( AIIMS ) के निर्माण हेतु  
0.7037 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.7037  
हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को  
पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव  
के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन  
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की  
गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन  
अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित गरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा  
प्रस्तावित 0.7037 हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kangoo  
to AIIMS Kothipura निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा रघुनाथपुरा  
की सहमति दी जाती है।

स्थान :  
दिनांक :

Attested

प्रबल शीतोदेदी सचिव  
वन अधिकार समिति  
राजस्व एवं (वि.प्र.)  
ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा  
सदर, बिलासपुर (ह.प्र.)

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

अधिवक्ता हरनाथर सचिव  
ग्राम सभा अधिकार समिति  
राजस्व एवं जंगली  
ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा  
सदर, बिलासपुर (ह.प्र.)

वन अधिकार समिति

गरनाल

ग्राम पंचायत

शुनाथपुरा

सहसिल

सर

जिला

बिलासपुर

हि०प्र०

आज दिनांक 05-10-2021

को वन अधिकार समिति ग्राम

गरनाल

अध्यक्ष श्री शांतीशाम

की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित

सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अगल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या - 01

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 Transmission Line. Kangra to AIMS Kothiipura के निर्माण लिए वन भूमि के उपयोग की मजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र (Area:- 14634 Hec)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने, उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम गरनाल के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया -

| क्र.सं. | नाम व पति/पति का नाम         | पदनाम  | ग्राम | हस्ताक्षर   |
|---------|------------------------------|--------|-------|-------------|
| 1.      | शाली ग्राम 8/0 नरेंद्रशम शम  | प्रधान | गरनाल | Shaligram   |
| 2.      | कुल्लु लाल 8/0 सुरेश शम      | सचिव   | "     | Kullu Lal   |
| 3.      | विमला देवी 8/0 प्रेम लाल     | सदस्य  | "     | Vimla Devi  |
| 4.      | विमला देवी 8/0 राजेंद्र सिंह | "      | "     | Vimla Devi  |
| 5.      | जगदीश 8/0 हरीश शम            | "      | "     | Jagdish     |
| 6.      | कौशल्या देवी 8/0 राजीव       | "      | "     | Kaushalya   |
| 7.      | जयपाल 8/0 काशीशम             | "      | "     | Jaypal      |
| 8.      | श्रीमा देवी 8/0 रूप लाल      | "      | "     | Shrima Devi |
| 9.      | कुल्लु लाल 8/0 सुरेश शम      | "      | "     | Kullu Lal   |
| 10.     | सुनील कुमार 8/0 प्रेम लाल    | "      | "     | Sunil Kumar |

Attested

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line / Kangra to AIMS Kothiipura निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमत की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

प्रधान Shaligram  
वन अधिकार समिति  
राजस्थान गांव गरनाल  
ग्राम पंचायत शुनाथपुरा  
सर, बिलासपुर (हि.प्र.)

सचिव Kullu Lal  
वन अधिकार समिति  
राजस्थान गांव गरनाल  
ग्राम पंचायत शुनाथपुरा  
सर, बिलासपुर (हि.प्र.)

26/10/2021 PK



वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा गारनाल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05/10/2021

प्रस्ताव संख्या 01

वन अधिकार समिति ग्राम सभा गारनाल की बैठक आज दिनांक 05-10-2021 को बजे, स्थान गारनाल में श्री / श्रीमति राजी

ग्राम अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत Govt / Forest जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. विभाग द्वारा Transmission Line Kangra to AIIMS Kothi Pura के निर्माण के लिए 1.463.4 Hec. हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मज़री प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों अपेक्षाओं पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र.सं. | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्योरा |
|---------|------------------------|-------------|---------------------|
|         |                        |             | <u>FRA Garmal</u>   |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

| क्र.सं. | पात्र गांव वासी का नाम |
|---------|------------------------|
|         | <u>NIL</u>             |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

रुणा लाल  
सचिव  
वन अधिकार समिति  
राजस्थान गांव...  
ग्राम पंचायत खुलासपुर  
सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Shanley R.  
सचिव  
वन अधिकार समिति  
राजस्थान गांव...  
ग्राम पंचायत खुलासपुर  
सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)

## Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति गरनाल  
 मुहाल सभा का नाम गरनाल  
 ग्राम पंचायत का नाम रमुनापुरा  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या .....  
 उपस्थित सदस्य संख्या 10  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक .....

मुहाल सभा गरनाल की बैठक आज दिनांक 05-10-2021 को 11:00  
 स्थान गरनाल में श्री/श्रीमति श्रीमती राजेश की अध्यक्षता में की।  
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें गरनाल मुहाल के  
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के  
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के अ  
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस  
 चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| क्र. सं. | पात्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार क |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|
|          |                       |             | FRM Garma   |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की स  
 प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया

| क्र. संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | NIL                   |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल गरनाल में  
 वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

Attested

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैया की गई वाजिब उल अ  
 वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन  
 अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधन  
 मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

District Revenue Officer  
 District Bilaspur (H.P.)

ग्राम पंचायत रमुनापुरा  
 सदन, बिलासपुर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत रमुनापुरा  
 सदन, बिलासपुर (हि.प्र.)



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006)

कार्यालय ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा  
विकास खण्ड सादर जिला बिलासपुर हि.प्र.  
दिनांक 05/10/2021

प्रस्ताव संख्या 01

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV Transmission Line Kangoo to AIIMS Kothipura के निर्माण हेतु गिरनाल जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4637 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा की बैठक आज दिनांक 05-10-2021 को 11.00 बजे गिरनाल स्थान में गई जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line Kangoo to Kothipura (AIIMS) के निर्माण हेतु Govt. Forest जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4637 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यो पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्र के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है प्रस्तावित 1.4637 हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kangoo to AIIMS Kothipura निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

Attestd

District Revenue Officer  
District Bilsapur (H.P.)

रघुनाथपुरा

स्थान : ग्राम वन अधिकार समिति  
दिनांक : राजस्व गांव गिरनाल  
ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा  
सादर, बिलासपुर (हि.प्र.)

प्रधान सचिव  
वन अधिकार समिति  
राजस्व गांव गिरनाल  
ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा  
सादर, बिलासपुर (हि.प्र.)  
ग्राम सभा

वन अधिकार समिति साईफरड़ा  
 ग्राम पंचायत नौवी सहसील सदर जिला बिलासपुर हि०प्र०

आज दिनांक 23-9-2021 को वन अधिकार समिति ग्राम साईफरड़ा की बैठक अध्यक्ष श्री Prem Lal की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या :- 3

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line Kangra to AIMS Kathupura के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र (Area - 0.2484 Hec

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र० | नाम व पिता / भ्राता का नाम | पदनाम    | ग्राम    | हस्ताक्षर     |
|------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| 1    | पुष्पलाल / पिता श्री राम   | - प्रधान | साईफरड़ा | Prem Lal      |
| 2    | जयदेव शर्मा / 510-चन्द्रशम | - सचिव   | साईफरड़ा | Jaydev Sharma |
| 3    | कुसुमा / 40/जगदीश शर्मा    | -        | साईफरड़ा | Jagdish       |
| 4    | जगदीश / 510-गुरुशम         | -        | साईफरड़ा | Jagdish       |
| 5    | भगीरथ / 510-लाल शम         | -        | साईफरड़ा | Bhagirath     |
| 6    | देव शर्मा / 510-रामनाथ     | -        | साईफरड़ा | Dev Sharma    |
| 7    | कुसुमलता / 510-जगतपाल      | -        | साईफरड़ा | Kusumalak     |
| 8    | राजेश शर्मा / 510-नन्दलाल  | -        | साईफरड़ा | Rajesh        |
| 9    | नीलम / 410-सुरेश           | -        | साईफरड़ा | Neelam        |
| 10   | कमला / 410-सुरेश           | -        | साईफरड़ा | Kamla         |

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के वी Transmission Line / Kangra to Kathupura AIMS निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति वारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अन्तर्गत है।

प्रधान Prem Lal  
 वन अधिकार समिति साईफरड़ा  
 ग्राम पंचायत नौवी  
 सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)  
 26/10/2021  
 सचिव जयदेव शर्मा  
 वन अधिकार समिति साईफरड़ा  
 ग्राम पंचायत नौवी  
 सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)

Attested  
 District Revenue Officer  
 District Bilsapur (H.P.)



वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा - साईफरड़ा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 3

दिनांक 23-9-2021

वन अधिकार समिति ग्राम सभा साईफरड़ा की बैठक आज दिनांक 23-9-2021 को बजे, स्थान साईफरड़ा में श्री / श्रीमति

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत साईफरड़ा जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. विभाग द्वारा Transmission Line कांग्रु to कौरीपूरा के निर्माण के लिए 0.2484 हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मजदूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए वन हेतु प्राप्त हुए गांव निवासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा तस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र.0 सं० | पात्र गांव वाली का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|-----------|------------------------|-------------|---------------------|
|           |                        |             | FRA साईफरड़ा        |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क्र.0 सं० | पात्र गांव वाली का नाम |
|-----------|------------------------|
|           | NIL                    |

Attested

District Revenue Officer  
District Bilaspur

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

*[Signature]*

अधिकृत हस्ताक्षर करती

*[Signature]*

सचिव

वन अधिकार समिति

ग्राम सभावाली कौरी

सदर बिलासपुर (मि.प्र.)

# Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति साईफरड़ा  
मुहाल सभा का नाम .....  
ग्राम पंचायत का नाम .....  
मुहाल सभा सदस्य संख्या .....  
उपस्थित सदस्य संख्या 10  
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 3

दिनांक 23-9-2021

मुहाल सभा ..... की बैठक आज दिनांक 23-9-2021 को 11.00 बजे ..  
स्थान साईफरड़ा में श्री/श्रीमति प्रेमलता की अध्यक्षता में की गई व  
उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें साईफरड़ा मुहाल के अनुसू  
जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्त  
इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों  
की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर वि  
चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| कठ सं | पात्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्य<br>FRA साईफरड़ा |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------------------|
|       |                       |             |                                  |
|       |                       |             |                                  |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति  
प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|--------|-----------------------|
|        | NIL                   |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल साईफरड़ा में का  
वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

Attested

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज न  
वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के  
अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के  
मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

District Revenue Officer  
District Binspur

26/10/2021  
P/C Akhambur

ग्राम पंचायत

प्रस्ताव  
वन अधिकार समिति साईफरड़ा  
ग्राम पंचायत बौली  
तहर, बिलासपुर (हि.प्र.)



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत  
विकास खण्ड लाघरपुर

जिला बिलासपुर हि.प्र.  
दिनांक 23-9-2021

प्रस्ताव संख्या 3

विषय— Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV Transmission Line कांगू to कोठीपुरा के निर्माण हेतु खाई फरड़ा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.2484 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत कोठी की बैठक आज दिनांक 23-9-2021

को 11:00 बजे 12:00 स्थान में गई जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line कांगू to कोठीपुरा के निर्माण हेतु खाई फरड़ा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.2484 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line कांगू to कोठीपुरा निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा खाई फरड़ा की सहमति दी जाती है।

Attestd

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

स्थान :  
दिनांक :

*[Signature]*

ग्राम पंचायत कोठी  
बिलासपुर (हि.प्र.)

अधिकृत हस्ताक्षर *[Signature]*  
ग्राम सभा खाई फरड़ा  
वन अधिकार समिति  
ग्राम पंचायत कोठी  
बिलासपुर (हि.प्र.)

वन अधिकार समिति .....  
 गांव पंचायत ..... तहसील ..... जिला ..... दि० प्र०

आज दिनांक 29/09/2021 को वन अधिकार समिति ग्राम ..... की बैठक अध्यक्ष श्री ..... की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या :- 02

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग / संस्था को 132 KV Transmission Line के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र। (Area - 1.3384 Hec)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में सदस्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम ..... के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र० | नाम पतिता / पति का नाम | पदनाम     | ग्राम | हस्ताक्षर   |
|------|------------------------|-----------|-------|-------------|
| 1    | श्री. गुरजाना कौर      | उप-प्रा.ग | नौली  | P. J. Singh |
| 2    | श्री. गुरजाना कौर      | रा.प.ग    | "     | Shankar     |
| 3    | श्री. राम माल          | उप-प्रा.ग | "     | P. J. Singh |
| 4    | श्री. लक्ष्मी          | का.प्रा.ग | "     | P. J. Singh |
| 5    | श्री. लक्ष्मी          | का.प्रा.ग | "     | अ.प्रा.ग    |
| 6    | श्री. लक्ष्मी          | का.प्रा.ग | "     | अ.प्रा.ग    |
| 7    | श्री. लक्ष्मी          | का.प्रा.ग | "     | अ.प्रा.ग    |
| 8    | श्री. लक्ष्मी          | का.प्रा.ग | "     | अ.प्रा.ग    |
| 9    | श्री. लक्ष्मी          | का.प्रा.ग | "     | अ.प्रा.ग    |
| 10   | श्री. लक्ष्मी          | का.प्रा.ग | "     | अ.प्रा.ग    |

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line / कार्यालय को निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति वारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

Attested

District Revenue Officer  
 Bilaspur (H.P.)

प्रधान वन अधिकार समिति  
 तह. 02  
 जिला ..... दि० प्र०

सचिव

सचिव  
 वन अधिकार समिति  
 तह. 02  
 जिला ..... दि० प्र०



वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 24/9/11

प्रस्ताव संख्या 02

वन अधिकार समिति ग्राम सभा

को बजे, स्थान

की बैठक आज दिनांक 24/9/11

में श्री / श्रीमति

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.

विभाग द्वारा Transmission Line to के निर्माण के

लिए 1-3384 हैक्टयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई

। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के

उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र. सं० | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|----------|------------------------|-------------|---------------------|
|          |                        |             | FRA जौली            |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क्र. सं० | पात्र गांव वासी का नाम |
|----------|------------------------|
|          | NIL                    |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

ग्राम सभा अधिकार समिति

ग्राम पंचायत बौली

तहसील, जिलासपुर (हि.)

## Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति .....  
 मुहाल सभा का नाम .....  
 ग्राम पंचायत का नाम .....  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या .....  
 उपस्थित सदस्य संख्या .....  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक .....  
 मुहाल सभा ..... की बैठक आज दिनांक ..... को ..... बजे  
 स्थान ..... में श्री/श्रीमति ..... की अध्यक्षता में की गई व  
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें ..... मुहाल के अनुसूचित  
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत  
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों  
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विचार  
 चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| क्र० सं | पात्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा<br>FRA नाम |
|---------|-----------------------|-------------|--------------------------------|
|         |                       |             |                                |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति व  
 प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र० संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | NIL                   |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल ..... में कोई  
 वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज न  
 एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के  
 अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के  
 मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

26/10/2021 PIC  
 1.61.1..

85

85



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत

विकास खण्ड

जिला

दिनांक

प्रस्ताव संख्या

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV

Transmission Line

to

के निर्माण

हेतु

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

1.7384 Hec

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत

की बैठक आज दिनांक

1/7/2021

को

1/7

वज

स्थान

में की

गई, जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV

Transmission Line

to

(

) के निर्माण हेतु

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

1.7384 Hec.

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्राहवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.7384 Hec. हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line

to AIMS Kothipura

निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा

Kangra

की सहमति दी जाती है।

Attested

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

स्थान:

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा

प्रमाण

ग्राम अधिकार समिति

ग्राम पंचायत मौनी

सहर, बिलासपुर (हि.प्र.)

वन अधिकार समिति

ग्राम पडंगल

ग्राम पंचायत

जौजी

तहसील

सदर

जिला

बिलासपुर

हि0प्र0

आज दिनांक 24/07/2021 को वन अधिकार समिति ग्राम की बैठक अध्यक्ष श्रीमती सविता खान की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कार्रवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या :- 02

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line. Kangra to Kathiware (A.H.M.S.) के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र। (Area - 0.7563 Hec.)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र0 | नाम व पिता / पति का नाम | पदनाम   | ग्राम | हस्ताक्षर          |
|------|-------------------------|---------|-------|--------------------|
| 1    | श्री भती मोनू खान       | प्रधान  | पडंगल | Meepa              |
| 2    | श्री लक्ष्मण शम्भू राम  | सचिव    | //    | हनुमंत चतुर्जी है। |
| 3    | श्री भती लारपति         | भागीदार | //    | Tarwaty            |
| 4    | श्री योगराज शंकरराज     | सदस्य   | //    | Yogi Raj           |
| 5    | श्री नरेंद्र शंकरराज    | सदस्य   | //    | गुरु               |
| 6    | श्री चमन शंकरराज        | सदस्य   | //    | पति लाल            |
| 7    | श्री देवी लाल शंकरराज   | सदस्य   | //    | देवी लाल           |
| 8    | श्री भती कृष्णराज शम्भू | सदस्य   | //    | देवी लाल           |
| 9    | श्री पवन शंकरराज        | सदस्य   | //    | देवी लाल           |
| 10   | श्री सुरेश शम्भू शम्भू  | सदस्य   | //    | देवी लाल           |

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line। Kangra to Kathiware के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति दारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

Attestd

District Revenue Officer  
District Bilsapur (H.P.)

प्रधान  
वन अधिकार समिति  
ग्राम अधिकार समिति  
ग्राम पंचायत जौजी  
सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)

Meepa  
Meepa

Meepa  
वन अधिकार समिति  
नन्दग्राम पंचायत जौजी  
सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)



वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा पडमल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 24/09/2022

प्रस्ताव संख्या 02

वन अधिकार समिति ग्राम सभा

पडमल

की बैठक आज दिनांक 24/09/2022

में श्री / श्रीमति श्रीमति

को बजे, स्थान

पडमल

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

पडमल

जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.

विभाग द्वारा Transmission Line

कर

to 225/2021 के निर्माण के

लिए O. N. 563 Hech हैक्टर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मजूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए दावे वन अधिकारों के आवेदनों पर वनों की मजूरी

। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन पर उस पर विस्तृत ध्यान

उपरांत वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया

| क.0 सं० | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|---------|------------------------|-------------|---------------------|
|         |                        |             | FRA पडमल            |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इस सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क.0 सं० | पात्र गांव वासी का नाम |
|---------|------------------------|
|         | NIL                    |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

प्रधान  
वन अधिकार समिति  
आम पंचायत मौजी  
सदर, बिलासपुर (डि.प्र.)

सर्वोपस्थित हस्ताक्षरकर्ता

M. Rast

(दि. 24.9.22)

Attestd

District Revenue Officer  
Bilaspur (H.P.)

## Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति ..... मुहाल .....  
 मुहाल सभा का नाम .....  
 ग्राम पंचायत का नाम .....  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या .....  
 उपस्थित सदस्य संख्या ..... 8 .....  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02 ..... दिनांक 24/09/2021 .....  
 मुहाल सभा मुहाल ..... की बैठक आज दिनांक 24/09/21 को 11:00 बजे .....  
 स्थान मुहाल ..... में श्री/श्रीमति श्रीमती ..... की अध्यक्षता में की गई व  
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें मुहाल ..... मुहाल के अनुसार  
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत  
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों  
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर वि  
 चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| क्र० सं | पात्र गांववासी के नाम | जमल का नाम | वन अधिकार का दावा |
|---------|-----------------------|------------|-------------------|
|         |                       |            | FRA मुहाल         |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति  
 प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र० संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | NIL                   |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल मुहाल ..... में का  
 वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज  
 वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के  
 अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के  
 अभिलेख एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

District Revenue Officer  
 District Bhopal

26/10/2021 PIC  
 1 abhambur

प्रमाण पत्र सचिव  
 वन अधिकार समिति, मुहाल  
 ग्राम पंचायत, मुहाल  
 खर, धिलासपुर (दि.प्र.)



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत  
विकास खण्ड

जिला

दिनांक

प्रस्ताव संख्या

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV  
Transmission Line को के निर्माण  
हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित  
हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत की बैठक आज दिनांक  
को बजे स्थान की  
गई जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV  
Transmission Line को के निर्माण हेतु  
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित  
हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों के  
पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव  
के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन  
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा क  
गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत व  
अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है त  
प्रस्तावित हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line को  
के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

Attested

District Revenue Officer  
District Bageswar (H.P.)

स्थान  
दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा  
वन अधिकार समिति  
ग्राम पंचायत नौजी  
सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)

नाम प्रस्तावित खेत ... वन अधिकार समिति खेत ... जिला बिलासपुर ...

आल दिनांक 12/10/2021 को वन अधिकार समिति खेत ... के अध्यक्ष सुनील कुमार ... की अध्यक्षता में ...

सहस्रक सचिव ...

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line, 220/132/63 KV S/S/Kangro to Kothliwara निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र (Area: 0.093 Hec.)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य व उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम खेत के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र.सं. | नाम व पिता / पति का नाम       | पदनाम  | ग्राम      | हस्ताक्षर   |
|---------|-------------------------------|--------|------------|-------------|
| 1       | <u>सुनील कुमार</u> <u>...</u> | प्रधान | <u>खेत</u> | <u>...</u>  |
| 2       | <u>सुनील कुमार</u> <u>...</u> | सचिव   | <u>खेत</u> | <u>Sahj</u> |
| 3       | <u>सुनील कुमार</u> <u>...</u> | सदस्य  | <u>खेत</u> | <u>...</u>  |
| 4       | <u>सुनील कुमार</u> <u>...</u> | सदस्य  | <u>खेत</u> | <u>...</u>  |
| 5       | <u>सुनील कुमार</u> <u>...</u> | सदस्य  | <u>खेत</u> | <u>...</u>  |
| 6       | /                             | /      | /          | /           |
| 7       | /                             | /      | /          | /           |
| 8       | /                             | /      | /          | /           |
| 9       | /                             | /      | /          | /           |
| 10      | /                             | /      | /          | /           |

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line। Kangro to Kothliwara निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति वारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकृत है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

Attested

District Revenue Officer  
District Bilaspur (M.P.)

प्रधान ...  
सचिव ...  
सदस्य ...  
सदस्य ...  
सदस्य ...

...  
26-10-2021  
91

सचिव Sahj  
वन अधिकार समिति ...  
तह ...  
जिला ...



वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा खोले

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 12/10/2021

प्रस्ताव संख्या 02

वन अधिकार समिति ग्राम खोले की बैठक आज दिनांक 12/10/21  
11:00 को हुई, स्थान ग्राम पंचायत हरमाणा में श्री / श्रीमति सुनीता

खोले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति  
और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

खोले जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.  
विभाग द्वारा Transmission Line 220/132/33kV G.I.S. के निर्माण के  
लिए 00-09-00 खोले वन भूमे के प्रयोग भूमि की मजूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई  
। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के  
उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया ।

| कठ सं० | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्योरा |
|--------|------------------------|-------------|---------------------|
|        | —                      | —           | FRA <u>खोले</u>     |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी  
सिफारिश की है।

रिजल में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

कठ सं० पात्र गांव वासी का नाम

NIL

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

Attested

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारों का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

अधिकार समिति खोले  
ग्राम पंचायत हरमाणा  
सदर, बिलासपुर (ह.प्र.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

वन अधिकारों व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2003

वन अधिकार समिति खण्ड  
 मुहाल सभा का नाम खण्ड  
 पात्र गांववासी का नाम खण्ड  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या 7  
 उपरिष्ठ सदस्य संख्या 5  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 12/10/2021  
 मुहाल सभा खण्ड की बैठक आज दिनांक 12/10/2021 को खण्ड  
 स्थान खण्ड में श्री/श्रीमति सुनीता ठाकुर की अध्यक्षता में की गई व  
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें खण्ड मुहाल के अनुसूचित  
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2003 के अन्तर्गत  
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों  
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत  
 चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| क्र० सं | पात्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|---------|-----------------------|-------------|---------------------|
|         |                       |             | FRA <u>खण्ड</u>     |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति के  
 प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र० संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | <u>NIL</u>            |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल खण्ड में कोई  
 वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उस अर्ज नक  
 वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के  
 अधिकारों को सही पाया गया एवं खण्ड को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के  
 मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएँ खण्ड के अनुसार ही माने गये।



Attested

District Revenue Officer  
 District Bhopal (H.P.)

सोनीच  
 राजेंद्र चन्द्रावत  
Soni

प्रमाण  
 वन अधिकार समिति खण्ड दिनांक 12-10-2021  
 वन अधिकार समिति

प्रमाण  
 वन अधिकार समिति खण्ड  
 वन अधिकार समिति



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित Govt. Forest हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kangra to  
AIIMS Kothipura निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा, खेतड़ा की सहमति दी जाती है।

कमौल्य ग्राम पंचायत

खेतड़ा

निवासी शब्द

सदर

दिनांक 12/10/2021

प्रस्ताव संख्या 2

विषय- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV

Transmission Line Kangra to Kothipura AIIMS के निर्माण हेतु खेतड़ा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-09-00 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत खेतड़ा की बैठक आज दिनांक 12/10/2021

को खेतड़ा स्थान G.P. खेतड़ा में की गई, जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV

Transmission Line Kangra to Kothipura AIIMS के निर्माण हेतु खेतड़ा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-09-03 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित Govt. Forest हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kangra to AIIMS Kothipura निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा, खेतड़ा की सहमति दी जाती है।

स्थान खेतड़ा  
दिनांक 12/10/2021

Attested

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

वन अधिकार समिति बेरी रजादिवां  
 ग्राम पंचायत बेरी रजादिवां तहसील सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0

आज दिनांक 19-10-2021 को वन अधिकार समिति ग्राम बेरी रजादिवां को बैठक अध्यक्ष श्री मजनु सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या - 2

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विमान/संस्था को 132 KV Transmission Line. Kangra to AIMS Kothipura के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र। (Area:- 0.286 Hec.)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र0 | नाम व पितृ/पति का नाम | वदनाम  | बेरी रजादिवां | हस्ताक्षर          |
|------|-----------------------|--------|---------------|--------------------|
| 1    | मजनु सिंह             | पुष्प  | do            | <u>[Signature]</u> |
| 2    | राजीव सिंह            | सपुत्र | do            | <u>[Signature]</u> |
| 3    | मदलाल                 | "      | do            | <u>[Signature]</u> |
| 4    | जुमै सिंह             | "      | do            | <u>[Signature]</u> |
| 5    | मैहेंद्र सिंह         | "      | do            | <u>[Signature]</u> |
| 6    | अमर सिंह              | "      | do            | <u>[Signature]</u> |
| 7    | प्यार सिंह            | "      | do            | <u>[Signature]</u> |
| 8    | निर्मला               | do     | do            | <u>[Signature]</u> |
| 9    | राशन लाल              | do     | do            | <u>[Signature]</u> |
| 10   | तुलना देवी            | do     | do            | <u>[Signature]</u> |
| 11   | शीला देवी             | do     | do            | <u>[Signature]</u> |

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line / Kangra to AIMS Kothipura के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति वारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत तत्त्वस्थित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

Attested

District Revenue Office  
 District Bilaspur (H.P.)

प्रधान [Signature]

वन अधिकार समिति  
 तह. बेरी रजादिवां  
 जिला बिलासपुर

[Signature]  
26-10-2021  
95

सचिव [Signature]  
 वन अधिकार समिति  
 तह. बेरी रजादिवां  
 जिला बिलासपुर



वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम समा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 19-10-2021

प्रस्ताव संख्या 2

वन अधिकार समिति ग्राम समा

को वज, स्थान

सिंह

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.

विभाग द्वारा Transmission Line Kangra to Keshwara AIMS के निर्माण के

लिए 0.286 हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई

वन अधिकारों के प्रस्तावों के लक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के

उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र० सं० | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्योरा |
|----------|------------------------|-------------|---------------------|
|          |                        |             | FRA बीरी रजादिया    |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम समा से इसकी सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

| क्र० सं० | पात्र गांव वासी का नाम |
|----------|------------------------|
|          | NIL                    |

अनुसार ग्राम समा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

Attested

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम समा वन अधिकार समिति  
राजेश जांघली, बिलासपुर  
ग्राम पंचायत बीरी रजादिया  
सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)

# Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति  
मुहाल सभा का नाम  
ग्राम पंचायत का नाम  
मुहाल सभा सदस्य संख्या  
उपस्थित सदस्य संख्या  
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 002  
दिनांक 19-10-2021 को 11:00 बजे  
मुहाल सभा के सदस्यों की बैठक आज दिनांक 19-10-2021 को 11:00 बजे  
स्थान बैरी रज्जादिया में श्री/श्रीमति जयन सिंह की अध्यक्षता में की गई व  
उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें 11/11 मुहाल के अनुसूचित  
जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत  
इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों  
की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्त  
चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| क्र० सं | पत्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|---------|----------------------|-------------|---------------------|
|         |                      |             | FRA बैरी रज्जादिया  |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति क  
प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र० संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | NIL                   |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल बैरी रज्जादिया में कोई  
वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैया की गई वाजिब उल अर्ज नक  
वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के  
अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के  
मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

Attested

District Revenue Officer  
District Bhopal (M.P.)

सचिव  
ग्राम पंचायत

प्रधान

ग्राम पंचायत

कुमान  
वन अधिकार समिति  
ग्राम पंचायत बैरी रज्जादिया  
अवध, बिलासपुर (दे.प्र.)



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत बैरी रज्जादियाँ  
विकास खण्ड ..... जिला बिलासपुर हि.प्र.  
दिनांक 19-10-2021  
प्रस्ताव संख्या 2

विषय- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV  
Transmission Line Kangoo to AIIMS Kathipura के निर्माण  
हेतु बैरी रज्जादियाँ जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.286 Hec.  
हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।  
ग्राम पंचायत बैरी रज्जादियाँ की बैठक आज दिनांक 19-10-2021  
को 11:00 बजे बैरी रज्जादियाँ स्थान बैरी रज्जादियाँ में की  
गई, जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV  
Transmission Line Kangoo to AIIMS (Kathipura) के निर्माण हेतु  
बैरी रज्जादियाँ जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.286 Hec.  
हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को  
पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव  
के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा को इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन  
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की  
गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन  
अधिकारों के दलों निपटारे सम्बन्धित तर्क प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा  
प्रस्तावित 0.286 हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kangoo  
to AIIMS Kathipura निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा बैरी रज्जादियाँ  
की सहमति दी जाती है।

स्थान : बैरी रज्जादियाँ  
दिनांक 19-10-2021  
Attest [Signature]

[Signature]  
अधिकृत हस्ताक्षर  
ग्राम सभा बैरी रज्जादियाँ  
प्रधान [Signature]  
वन अधिकार समिति

वन अधिकार समिति ..... जंगल बांस  
 ग्राम पंचायत ..... कुडी तहसील ..... जिला ..... बिलसपुर हिप्रो

आज दिनांक 5-10-2021 को वन अधिकार समिति ग्राम जंगल बांस की बैठक अध्यक्ष श्री ..... की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या :- 4

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र (Area - 10.8901 Hec.)

बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने सन्वन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम जंगल बांस के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र० | नाम व पिता / पति का नाम | पदनाम   | ग्राम     | हस्ताक्षर    |
|------|-------------------------|---------|-----------|--------------|
| 1    | राजूदा कुमार            | प्रधान  | जंगल बांस | Rajuda       |
| 2    | सुदीप कुमार             | अध्यक्ष | "         | Sudeep       |
| 3    | विनोद सोनी              | "       | "         | Vinod        |
| 4    | कुमल कपूर               | "       | "         | Kamal Kapoor |
| 5    | रितेश                   | "       | "         | Ritesh       |
| 6    | अशोक कुमार              | "       | "         | Ashok        |
| 7    | रवि कपूर                | "       | "         | Ravi Kapoor  |
| 8    | विपन कपूर               | "       | "         | Vipin        |
| 9    |                         |         |           |              |
| 10   |                         |         |           |              |

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सन्वन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

Attested

District Revenue Officer  
 District Bilaspur (H.P.)

प्रधान .....  
 वन अधिकार समिति .....  
 तह. ....  
 जिला ..... हिप्रो

V.R.O  
 10  
 26-10-2021

सचिव / सचिव  
 वन अधिकार समिति .....  
 तह. ....  
 जिला ..... हिप्रो



## Annexure - 1

वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम समिति जंगल बोर्ड

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 5-10-2021

वन अधिकार समिति ग्राम समिति जंगल बोर्ड की बैठक आज दिनांक 5-10-2021  
11 बजे को बजे, स्थान जंगल बोर्ड में श्री / श्रीमति श्री के. श. कुमार

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.

विभाग द्वारा Transmission Line कायू to Himachal Pradesh के निर्माण के

लिए 10-11-2021 हैक्टयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई

। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के

उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र. सं० | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का धोरा |
|----------|------------------------|-------------|-------------------|
|          |                        |             | FAA जंगल बोर्ड    |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क्र. सं० | पात्र गांव वासी का नाम |
|----------|------------------------|
|          | NIL                    |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल बोर्ड जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

5/10/2021

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा प्रधान / सदस्य

वन अधिकार समिति जंगल बोर्ड

गांव वासी, ग्राम पंचायत, जंगल बोर्ड, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

# Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति जमाल बाँस  
 मुहाल सभा का नाम जमाल बाँस  
 ग्राम पंचायत का नाम कुड्डा  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या 3  
 उपस्थित सदस्य संख्या 3  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 5-10-2021

प्रस्ताव संख्या 2  
 मुहाल सभा जमाल बाँस की बैठक आज दिनांक 5-10-2021 को 11 बजे स्थान जमाल बाँस में श्री/श्रीमति श्री. के. ई. कुमार की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें जमाल बाँस मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों पर की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| क्र.सं. | पात्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|---------|-----------------------|-------------|---------------------|
|         |                       |             | FRA जमाल बाँस       |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र.सं. | पात्र गांववासी के नाम |
|---------|-----------------------|
|         | NIL                   |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल जमाल बाँस में कोई वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शे वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

Attested

साचिव  
 ग्राम पंचायत

प्राधान  
 ग्राम पंचायत

प्रधान  
 वन अधिकार समिति

District Revenue Officer  
 District Bilaspur (H.P.)



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत

विकास खण्ड

कुसी

जिला बिलासपुर हि.प्र.

दिनांक 5/10/2021

प्रस्ताव संख्या 3

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV

Transmission Line कोसी to Nims कोसीपुरी के निर्माण

हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत कोसी जंगल/वन क्षेत्र की बैठक आज दिनांक 5/10/2021

को 11 वजे स्थान जंगल/वन क्षेत्र में की

गई, जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV

Transmission Line कोसी to Nims कोसीपुरी ( ) के निर्माण हेतु

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 10.89.01/1/100

हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है, तथा प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line कोसी to Nims कोसीपुरी निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

Attested

स्थान: जंगल/वन क्षेत्र

दिनांक 5/10/2021

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा

वन अधिकार समिति ..... बिनीला .....  
 ग्राम पंचायत ..... बिनीला ..... तहसील ..... बनपुर ..... जिला ..... बिलासपुर (हि.प्र.)

आज दिनांक 19-10-2021 को वन अधिकार समिति ग्राम बिनीला की बैठक अध्यक्ष श्री रजनीश ठाकुर की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या :- 04

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line, कांगू से मोठीपुरा Aims के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र (Areal-6999 Hec.)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम बिनीला के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र० | नाम व पिता / पति का नाम     | पदनाम  | ग्राम  | हस्ताक्षर |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1    | श्री रजनीश ठाकुर            | प्रधान | बिनीला |           |
| 2    | श्री दिलीप ठाकुर            | सचिव   | "      |           |
| 3    | श्री जेठलाल ठाकुर           | सदस्य  | "      |           |
| 4    | श्री किशोरी लाल             | "      | "      |           |
| 5    | श्री सुरेश कुमार            | "      | "      |           |
| 6    | श्री नन्दलाल श/0 गोकुल      | "      | "      |           |
| 7    | श्रीमती लाली देवी श/0 उकावा | "      | "      |           |
| 8    | " माया देवी श/0 गिबका       | "      | "      |           |
| 9    | " माया देवी श/0 वीरेन्द्र   | "      | "      |           |
| 10   | श्री नागक वाम श/0 लिवरू     | "      | "      |           |

Attended

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line / कांगू से मोठीपुरा A निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमत व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2008 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्रवाई के अनुसूचक है।

District Revenue Officer  
 District Bilaspur (H.P.)

प्रमाणित  
 वन अधिकार समिति  
 राजस्थ गांव  
 ग्राम पंचायत बिनीला  
 सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)

P/C Add. in charge  
 103  
 वन अधिकार समिति  
 राजस्थ गांव  
 ग्राम पंचायत बिनीला  
 सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)



विनीला

विनीला

सदर

जिला

बिलासपुर

19-10-2021

विनीला

राजनीश ठाकुर

की अग्रजता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित

सहमति के बिना किसी भी प्रकार से अमल में लाई गई।

04.

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संख्या को 132 KV Transmission Line कांगू से कौडीपुरा A.L.M.S के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र। (Area 1-6991 Hec.)

विनीला

- 11. सीता रांन शंभूगहस
- 12. पवन कुमार शंभूगहस

सदस्य

विनीला

सीमा रांन

Pawan Kumar

Arrested

District Revenue Officer District Bileaspur (H.P.)

विनीला

विनीला

विनीला

विनीला

PLC Addm Charge

विनीला

Binola

म. जमजाते और अन्य पत्र (राज्य) का निवास वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2005

वन अधिकारी समिति

समिति बिनोला

परिचय पत्र 1.

दिनांक 19-10-2021

परिचय पत्र 1.

वन अधिकारी समिति मान्यता बिनोला की सेवा आदेश 19-10-21  
1. वन अधिकारी का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला रजनीश ठाकुर

अनुसूचित जनजाति और अन्य का समाज वन अधिकारी का मान्यता अधिनियम 2005

बिनोला जमाल / वन क्षेत्र बिस्म हिमाचल Pradesh State Electric Supply Ltd  
विद्युत द्वारा Transmission Line कांगू to कौशीपुर Aims

0.6999 Hec. जमाल का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला  
अधिकारी का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला का नाम अधिकारी का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला  
वन अधिकारी की प्रशिक्षण का सत्य प्रमाण दस्तावेज का उल्लेख जमाल का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला  
अधिकारी का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला का नाम अधिकारी का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला

F.R.A  
Binola

अधिकारी का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला का नाम अधिकारी का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला

लिखत में स. विन्यासित पत्रों का नाम विन्यासित पत्रों का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला

क. 0. 0. 0. पात्र गांव कौशी का नाम

NIL

अनुमान वन सगा 25 लाख, 25 लाख का नाम कार्मा गुरु पं बिनोला

बिनोला

बिनोला

19-10-2021

Atthala  
District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

Atthala  
विभाग

वन अधिकारी समिति  
सचिव गांव बिनोला  
जम पंचायत बिनोला  
सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)



## Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति ..... बिनीला  
 मुहाल सभा का नाम ..... बिनीला  
 ग्राम पंचायत का नाम ..... बिनीला  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या ..... 14  
 उपस्थित सदस्य संख्या .....  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02दिनांक 19.10.2021

मुहाल सभा बिनीला की बैठक आज दिनांक 19.10.2021 को 11 बजे ..  
 स्थान बिनीला में श्री/श्रीमति रजनीश ठाकुर की अध्यक्षता में की गई व  
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें बिनीला मुहाल के अनुसार  
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्  
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों  
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर वि  
 चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का व्यौरा:-

| क्र.सं. | वन निवासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौ   |
|---------|------------------|-------------|---------------------|
|         |                  |             | <u>F.R.A बिनीला</u> |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति  
 प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र.सं. | पात्र गांववासी के नाम |
|---------|-----------------------|
|         | <u>NIL</u>            |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल बिनीला में का  
 वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज न  
 वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में दर्जित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के  
 अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के  
 मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएं वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

Attest  
 District Revenue Officer  
 District Bilaspur (H.P.)

ग्राम पंचायत  
 ग्राम प्रधान बिनीला  
 सर, बिलासपुर (हि.प्र.)

वन अधिकार समिति  
 अध्यक्ष बिनीला  
 सर, बिलासपुर (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत विनीला  
विकास खण्ड सरदर जिला विलासपुर  
दिनांक 19-10-2021

प्रस्ताव संख्या 03.

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV Transmission Line कांगू to कोठीपुरा Arim के निर्माण हेतु विनीला जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.6999 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।  
ग्राम पंचायत विनीला की बैठक आज दिनांक 19-10-2021 को 11 बजे विनीला स्थान कार्गु. 0.5 ग्र. 0. पं विनीला में की गई, जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line कांगू to कोठीपुरा के निर्माण हेतु विनीला जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.6999 Hec. हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.7 हैक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line कांगू से कोठीपुरा Arim निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सम्मति की सहमति दी जाती है। विनीला

स्थान : विनीला  
दिनांक 19-10-2021

Attested

प्रधान विनीला  
सचिव विनीला  
वन अधिकार समिति विनीला  
अधिकृत गुरुदास विनीला  
ग्राम पंचायत विनीला  
सरदर, विलासपुर (हि.प्र.)



वन अधिकार समिति बागी  
 ग्राम पंचायत बिनीला तहसील झापर जिला पिलासपुर हि0प्र0

आज दिनांक 27.09.2021 को वन अधिकार समिति ग्राम बागी की बैठक  
 अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित  
 सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई। 10/10.

प्रस्ताव संख्या :- च-1

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 K  
 Transmission Line कांगू से Aims कोरापुरा के निर्माण  
 लिए वन भूमि के उपयोग की मजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र। (Area) - 1.43 H

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु  
 उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम  
बागी के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं  
 इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र0 | वन व फिता / पारित का नाम          | सदस्य  | ग्राम |
|------|-----------------------------------|--------|-------|
| 1    | रमेश ठाकुर श्री गोपी राम          | प्रधान | बागी  |
| 2    | कमल राम श्री गुरु राम             | सा.स.व | "     |
| 3    | शैल राम श्री लाला राम             | सदस्य  | "     |
| 4    | अनिल राम श्री राधादेव             | "      | "     |
| 5    | श्रीमती कस्तुरी श्री राधादेव      | "      | "     |
| 6    | श्रीमती पानो देवी श्री सुधीर      | "      | "     |
| 7    | श्री चारेलाल श्री बरू राम         | "      | "     |
| 8    | श्री हर्षेश वर्मा श्री शैल राम    | "      | "     |
| 9    | श्रीमती प्रवीण कुमारी श्री सुखराम | "      | "     |
| 10   | श्री राजदल श्री जिकरू             | "      | "     |

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line / कांगू से Aims की  
 निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने

ज्वर की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत स  
 अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सह  
 पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

प्रधान रमेश ठाकुर  
 वन अधिकार समिति  
 तहसील झापर  
 जिला पिलासपुर (हि.प्र.)

सचिव रमेश ठाकुर  
 वन अधिकार समिति  
 तहसील झापर  
 जिला पिलासपुर (हि.प्र.)

PLC Add-in  
 Charge Date  
 26/10/2021

District Revenue Officer  
 District Bilaspur (H.P.)

Bagi

27/09/2021

यह प्रमाणित है कि निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों ने बागरी की...

वन अधिकार समिति

नाम बागी

पते/पता

दिनांक 27.09.2021

27.09.2021

वन अधिकार समिति नाम बागी की बैठक का दिनांक 27.09.2021

1.1 का नाम कार्य- ग्राम विनीला में भी रमेश

बागी जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd

विद्युत लाईन Transmission Line कांगू to कौशीपुरा Aims

कोड 01-42-62 1.48 Hec

...

...

...

...

...

F.R.A.  
Bagi

...

...

Attested

क.0 सं.0 पात्र गांव बासी का नाम

MIL

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

बागी

बागी

27/09/2021

...

...

109



# Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति ..... वागी  
मुहाल सभा का नाम ..... वागी  
ग्राम पंचायत का नाम ..... विनाला  
मुहाल सभा सदस्य संख्या ..... 10  
उपस्थित सदस्य संख्या ..... 10

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 27.09.20

सभी वागी प्रस्ताव संख्या 02 की बैठक आज दिनांक 27.09.21 को 11:00 बजे स्थान काशी गांधी किनारे / श्रीमति रमेश की अध्यक्षता में की गई। उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें 10/10 मुहाल के अ जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के उ इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आदे की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस प चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ध्यौरा:-

| क्र० सं | पत्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार व |
|---------|----------------------|-------------|-------------|
|         |                      |             | FR-A        |
|         |                      |             | विन अति     |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की स प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया ग

| क्र० संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | NIL                   |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल वागी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

Attested

District Revenue Office  
District Bilaspur (H.P.)

Handwritten signature

साजिद  
ग्राम पंचायत

आशुभाष  
ग्राम पंचायत  
ग्राम पंचायत विनाला  
अवर, बिलासपुर (हि.प्र.)

Handwritten signature  
वन अधिकार समिति  
ग्राम पंचायत विनाला  
अवर, बिलासपुर (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत  
विकास खण्ड

विनोला

जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

दिनांक 27-09-2021

प्रस्ताव संख्या 03

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV  
Transmission Line कोराग्रू to कोहीपुरा A/14ms के निर्माण  
हेतु बागी जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 01-42-62 (1.43 Hec)  
हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।  
ग्राम पंचायत कोराग्रू की बैठक आज दिनांक 27-09-2021  
को 11 बजे ग्राम पंचायत स्थान गाँव विनोला में की  
गई, जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV  
Transmission Line कोराग्रू to कोहीपुरा A/14ms के निर्माण हेतु बागी  
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 01-42-62 (1.43 Hec)  
हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित 01-42-62 (1.43 Hec) हैक्टयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line कोराग्रू से कोहीपुरा A/14ms निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

स्थान बागी  
दिनांक 27/09/2021

ग्राम पंचायत  
वन अधिकार समिति  
आधिकारिक हस्ताक्षर  
ग्राम पंचायत विनोला  
ग्राम बिलासपुर (हि.प्र.)



वन अधिकार समिति .....

ला ..... बिलामपुर हि0प्र0

ग्राम पंचायत ..... सिहड़ा तहसील .....

आज दिनांक 15-09-2021 को वन अधिकार अध्यक्ष श्री ..... वडाक राम सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई

ति ग्राम ..... सिहड़ा की बैठक ता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या - 2

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line. Kangoo to AI MS Kothupura के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र (Area)- 8.1844 Hec.

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम ..... सिहड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र० | नाम व पिता / प्रति का नाम | पदनाम   | ग्राम  | हस्ताक्षर    |
|------|---------------------------|---------|--------|--------------|
| 1    | चुभाकराम डो अणुला राम     | अध्यक्ष | सिहड़ा | चुभाकराम     |
| 2    | हौरासाल डो अभिषेक         | साथी    | 1      | प्रमीला देवी |
| 3    | प्रीतिम डो रूपलाल         | सदस्य   | 1      | राजेश        |
| 4    | रामजी डो कृष्णराम         | 1       | 1      | रामचारा      |
| 5    | सोलाचर डो सुहाकराम        | 1       | 1      | लक्ष्मी देवी |
| 6    | रामचारी डो दीनलाल         | 1       | 1      | Suresh Kumar |
| 7    | प्रमीला देवी डो रामनारायण | 1       | 1      | Munish       |
| 8    | सुरेश कुमार डो राम        | 1       | 1      | प्रती देवी   |
| 9    | मुन्शीराम डो विहारी       | 1       | 1      |              |
| 10   | लता देवी डो लता देवी      | 1       | 1      |              |
| 11   | विहारी डो लता देवी        | 1       | 1      |              |
| 12   | लता देवी डो लता देवी      | 1       | 1      |              |
| 13   | लता देवी डो लता देवी      | 1       | 1      |              |

Attested

District Revenue Officer  
District Baramulla

बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव 132 के.वी. Transmission Line /

निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों द्वारा व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित एवं स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यवाही के अनुरूप है।

14. विनोद डो लता देवी  
15. लता देवी डो लता देवी  
प्रधान  
वन अधिकार समिति  
तह. ....  
जिला .....

16. लता देवी डो लता देवी  
सचिव  
वन अधिकार समिति  
तह. ....  
जिला .....

वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा .....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 15-09-2021

प्रस्ताव संख्या 02

वन अधिकार समिति ग्राम सभा रिहड़ा की बैठक आज दिनांक 15-09-2021

11:00 को बजे, स्थान ग्राम पंचायत रिहड़ा में श्री / श्रीमति चमरा

राज अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

Forest जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.

विभाग द्वारा Transmission Line Kangoo to AIMS Kotlipura के निर्माण के

लिए 8.1844 Hec हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई

। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र.सं. | पात्र गांव दासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|---------|------------------------|-------------|---------------------|
|         |                        |             | <u>FRA मिहड़ा</u>   |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

Attested

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क्र.सं. | पात्र गांव दासी का नाम |
|---------|------------------------|
|         | <u>NIL</u>             |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता चमरा



## Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति ..... सिद्धा .....  
 मुहाल सभा का नाम ..... सिद्धा .....  
 ग्राम पंचायत का नाम ..... सिद्धा .....  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या ..... सिद्धा .....  
 उपस्थित सदस्य संख्या ..... 15 .....  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ..... 15 ..... दिनांक .....  
 मुहाल सभा सिद्धा ..... की बैठक आज दिनांक 15.10.2024 को ..... 11.02 ..... बजे  
 स्थान ..... सिद्धा ..... में श्री/श्रीमति ..... प्रताप कुमार ..... की अध्यक्षता में की गई।  
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें ..... सिद्धा ..... मुहाल के अनुर  
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्त  
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदन  
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर  
 चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| क्र० सं | पात्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम   | वन अधिकार का न |
|---------|-----------------------|---------------|----------------|
| —       | —                     | <u>सिद्धा</u> | —              |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति  
 प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र० संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | <u>NIL</u>            |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

Attested

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल सिद्धा में व  
 वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैया की गई वाजिब उल अर्ज  
 एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन  
 अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों  
 मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

सचिव  
 ग्राम पंचायत .....  
 सचिव .....  
 ग्राम पंचायत सिद्धा  
 त्रिकुटापुरा (होप्र०) 114

प्रधान  
 ग्राम पंचायत .....  
 प्रधान .....  
 ग्राम पंचायत सिद्धा

कुमान  
 ग्राम पंचायत .....  
 ग्राम अधिकार समिति  
 सिद्धा, 300 सिनेस, 300 ग्राम  
 सिद्धा, 300 सिनेस, 300 ग्राम

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत ..... सिद्धा .....  
विकास खण्ड ..... सार ..... जिला बिलासपुर हि0प्र0  
दिनांक 15-09-2021

प्रस्ताव संख्या 02

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV  
Transmission Line Kanyoo to AIIMS Kothupura के निर्माण  
हेतु ..... जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित .....  
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत सिद्धा की बैठक आज दिनांक 15-09-2021  
को 11:00 बजे सुबह स्थान ग्राम पंचायत सिद्धा में की  
गई, जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV  
Transmission Line Kanyoo to Kothupura (AIIMS) के निर्माण हेतु .....  
Govt. Forest जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 8.1844 Hec.  
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को  
पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव  
के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन  
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की  
गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन  
अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा  
प्रस्तावित 8.1844 Hec. हैक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kanyoo  
to AIIMS Kothupura निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सिद्धा  
की सहमति दी जाती है।

Attested  
District Revenue Officer  
District Bilaspur (H.P.)

स्थान : 15-09-2021  
दिनांक सिद्धा

अधिकृत हस्ताक्षर  
ग्राम सभा सिद्धा  
वन अधिकार कक्ष  
जिला 240 बिलासपुर, रा0 चर  
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)



वन अधिकार समिति परनाली

ग्राम पंचायत बन्दला तहसील सादर जिला बिलासपुर हि0प्र0

आज दिनांक 16-10-2021 को वन अधिकार समिति ग्राम परनाली की बैठक अध्यक्ष श्री रविश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या :- 02

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line. Kangoo to Kothipura A.M.S के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र (Consent to 858 Hec.)

बैठक में सभी उपस्थित ग्राम वासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम परनाली के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र० | नाम व पिता / पति का नाम            | पदनाम         | ग्राम         | हस्ताक्षर              |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1    | <u>अमरीक सिंह</u>                  | <u>प्रधान</u> | <u>परनाली</u> | <u>Amrik Singh</u>     |
| 2    | <u>रविश कुमार</u>                  | <u>सचिव</u>   | <u>परनाली</u> | <u>Rakesh Kumar</u>    |
| 3    | <u>वर्मा चन्द प्र. परस राम</u>     | <u>सदस्य</u>  | <u>"</u>      | <u>Varma Chand</u>     |
| 4    | <u>श्रीता राम प्र. होदा राम</u>    | <u>"</u>      | <u>"</u>      | <u>Shrieta Ram</u>     |
| 5    | <u>मनोज कुमार प्र. देव राज</u>     | <u>"</u>      | <u>"</u>      | <u>Manoj Kumar</u>     |
| 6    | <u>बुजय कुमार प्र. गगन राम</u>     | <u>"</u>      | <u>"</u>      | <u>Bujay Kumar</u>     |
| 7    | <u>श्रीकेश कुमार प्र. राणा देव</u> | <u>"</u>      | <u>"</u>      | <u>Shri Kesh Kumar</u> |
| 8    | <u>किरीटी लाल प्र. लखन राम</u>     | <u>"</u>      | <u>"</u>      | <u>Kirriti Lal</u>     |
| 9    | <u>केशू च. प्र. लाल</u>            | <u>"</u>      | <u>"</u>      | <u>Keshu Ch. Lal</u>   |
| 10   | <u>सुरेश कुमार प्र. लाल</u>        | <u>"</u>      | <u>"</u>      | <u>Suresh Kumar</u>    |

District Revenue Officer  
District Bilsapur (H.P.)

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line / Kangoo to Kothipura A.M.S के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बार उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

प्रधान Amrik Singh  
वन अधिकार समिति  
तह. परनाली  
जिला बिलासपुर

Rakesh Kumar  
1/ Chairman  
B.S.B.

सचिव Rakesh Kumar  
वन अधिकार समिति  
तह. परनाली  
जिला बिलासपुर

वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा परनाली

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 16/10/2021

प्रस्ताव संख्या 02

वन अधिकार समिति ग्राम सभा परनाली की बैठक आज दिनांक 16/10/2021 को बजे, स्थान परनाली में श्री श्रीमति रविश कुश

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

Govt. / Forest जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.

विभाग द्वारा Transmission Line Kangra to Kothipuzza AIMS के निर्माण के

लिए 7.20 98 हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई

। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के

उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र० सं० | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम   | वन अधिकार का ब्यौरा |
|----------|------------------------|---------------|---------------------|
|          |                        | <u>परनाली</u> |                     |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

Attested

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क्र० सं० | पात्र गांव वासी का नाम |
|----------|------------------------|
|          | <u>NIL</u>             |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता.

ग्राम सभा

प्रधान  
वन अधिकार समिति  
ग्राम परनाली  
सदर, बिलासपुर (हि.प्र.)

117

वन अधिकार समिति  
परनाली



## Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति परनाली  
 मुहाल सभा का नाम परनाली  
 ग्राम पंचायत का नाम बन्दोबस्त  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या 10  
 उपस्थित सदस्य संख्या 10  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 16-10-2024 को 11:15 AM ब  
 मुहाल सभा परनाली की बैठक आज 16-10-2024 को 11:15 AM ब  
 स्थान परनाली में श्री/श्रीमति राकेश कुमार की अध्यक्षता में की ग  
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें परनाली मुहाल के अ  
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के 3  
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवे  
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर  
 चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| क्र० सं | पत्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम   | वन अधिकार का |
|---------|----------------------|---------------|--------------|
|         |                      | <u>परनाली</u> |              |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समि  
 प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र० संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | <u>NIL</u>            |

Attested तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

District Revenue Officer (P) इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल परनाली में व  
 District Bilaspur वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैया की गई वाजिब उल अर्ज  
 वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन  
 अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों  
 मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

सचिव बन्दोबस्त  
 ग्राम पंचायत

प्रधान बन्दोबस्त  
 ग्राम पंचायत

प्रधान बन्दोबस्त  
 वन अधिकार समिति  
 ग्राम पंचायत

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत परनाली

विकास खण्ड सदर

जिला सिरमौर हि 0 प्र 0

दिनांक

प्रस्ताव संख्या 02

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV

Transmission Line Kangoo to AIIMS Kethipura के निर्माण

हेतु परनाली जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.858

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत परनाली की बैठक आज दिनांक 16-10-2021  
को 11.00 बजे परनाली स्थान ब-दल में की

गई, जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV

Transmission Line Kangoo to Kethipura (AIIMS) के निर्माण हेतु

परनाली जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.858 Hec.

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kangoo

to AIIMS Kethipura निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा परनाली

सहमति दी जाती है।

स्थान :

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा

अध्यक्ष पुष्पा  
ग्राम पंचायत परनाली

Rakesh Kumar  
ग्राम अधिकारी



गाम विकास बन्दला वहाँ की सदर जिला बिलासपुर

आगत दिनांक 16-10-2020 को ज. अ. अधिकार समिति गाम बन्दला की वेडक  
रामशकाश की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित  
 सदस्य ज्ञान एवं सक्षमता में निम्नलिखित नामों का उल्लेख है।

क्रमांक 02

सि. एन. एल. डिपार्टमेंट अंतर्गत Transmission Line दिनांक 16-10-2020 को ज. अ. अधिकार समिति गाम बन्दला की वेडक  
Kangoor to AIMS Kothipura के निर्माण के  
 लिए वन भूमि के उपयोग की प्रस्तावित हेतु अनापति प्रमाण पत्र। (Amr- 7.2098 Hec.)

पुस्तक में सभी उपस्थित गाम का (अ) में सम्बन्धित वन भूमि में प्रस्तावित कार्य हेतु  
 अध्यक्ष में उपस्थित को पुरी में वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति का यह निर्णय लिया कि वन  
 को अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वन भूमि दिए जाने पर वन भूमि का उपयोग  
 करने के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए वन भूमि का उपयोग

| रामशकाश      | प्रधान  | बन्दला | रामशकाश          |
|--------------|---------|--------|------------------|
| कशमीर सिंह   | अध्यक्ष | - do - | <del>18/10</del> |
| अमरावती      | सचिव    | - do - | Amravati         |
| पुनम         | अध्यक्ष | - do - | Punam            |
| विष्णु       | "       | - do - | "                |
| मनो          | "       | - do - | "                |
| अ. अ. अ.     | "       | - do - | "                |
| विष्णु कुमार | सदस्य   | - do - | Vishnu Kumar     |
| सचिव कुमार   | "       | - do - | Secretary        |
| सुनील कुमार  | "       | - do - | Sunil Kumar      |

District Revenue Officer  
 District Bilaspur (M.P.)

Secretary  
 H.C. Bhandari

16/10/20

ज. अ. अधिकार समिति गाम बन्दला की वेडक Kangoor to AIMS Kothipura के  
 निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति का उपस्थित सदस्यों ने सहमति  
 प्रदान की है। यह अनुमति वन अधिकार की भाष्यता अधिनियम 1980 के अंतर्गत सम्बन्धित  
 अधिकारियों को प्रदान की जायेगी। इस निर्णय की प्रतिलिपि ज. अ. अधिकार समिति गाम बन्दला को  
 प्रेषित की जायेगी।

गाम बन्दला  
 ज. अ. अधिकार समिति  
 ज. अ. अधिकार समिति  
 ज. अ. अधिकार समिति  
 ज. अ. अधिकार समिति

ज. अ. अधिकार समिति  
 ज. अ. अधिकार समिति  
 ज. अ. अधिकार समिति  
 ज. अ. अधिकार समिति

121



प्रतिनिधि प्रस्ताव

16/6/2021  
11:00AM

[illegible]

1951 25.05

बन्वला

तदनुसार यह मुख्य सभा इस बात पर चर्चा करती है कि जहाँ की गरिबी कम हो रही है वहाँ की स्थिति प्रशंसनीय है। उपरोक्त में यह निर्णय है कि जहाँ की गरिबी कम हो रही है वहाँ की स्थिति प्रशंसनीय है।

三、明 清

2312

यह सुझाव है कि यदि यह सच है तो यह एक बहुत बड़ा तथ्य है।  
यह अविवेक की दावा प्रतीत नहीं करता।

लन्दला

[illegible]

Attested

District Revenue Officer,  
District Bilaspur (H.P.)

प्रमाणित  
प्रमाणित प्रमाणित

Chakus

संख्या  
उत्तर प्रदेश सरकार  
विभाग संख्या

प्रमाण  
यस अधिकार समिति  
काय प्रमाणित  
सदर, विनायपुर

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत बन्दला  
विधायक सदर जिला बिलासपुर हि०प्र०  
दिनांक \_\_\_\_\_

प्रस्ताव संख्या 02

विषय— Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV Transmission Line Kangoo to AIIMS Kothipura के निर्माण हेतु बन्दला ग्राम/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 7.2.98 Hec हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत बन्दला को बैठक आज दिनांक 16/10/2024 को 2.00 बजे बन्दला स्थान ग्राम पंचायत बन्दला में की गई जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line Kangoo to Kothipura AIIMS के निर्माण हेतु बन्दला Govt. / Forest जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 7.2.98 Hec हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने की दाय सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित 7.2.98 Hec हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kangoo to AIIMS Kothipura निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा Bandla की सहमति दी जाती है।

Attestd

स्थान : \_\_\_\_\_  
दिनांक : \_\_\_\_\_

District Revenue Officer  
Bilaspur

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत  
बन्दला  
सदर, जिला बिलासपुर (Chh.)

प्रधान  
बन्दला  
सदर, जिला बिलासपुर



वन अधिकार समिति अलख  
 ग्राम पंचायत निचली मोह तहसील अलख जिला बिलासपुर हि0प्र0

आज दिनांक 22-09-2021 को वन अधिकार समिति ग्राम अलख की बैठक अध्यक्ष श्री राजेश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या -

01

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line From 220/132/33 KV SUBSTATION KANGROO के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनिवार्य प्रमाण पत्र (Area - 04 मीन Hee.)

बैठक में सभी उपस्थित ग्राम वासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम अलख के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र० | नाम व पिता / पति का नाम | पदनाम   | ग्राम | हस्ताक्षर |
|------|-------------------------|---------|-------|-----------|
| 1    | महेश कुमार शर्मा        | पुद्गात | अलख   |           |
| 2    | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |
| 3    | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |
| 4    | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |
| 5    | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |
| 6    | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |
| 7    | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |
| 8    | मोहन शर्मा              | "       | "     |           |
| 9    | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |
| 10   | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |
| 11   | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |
| 12   | मोहन शर्मा              | अध्यक्ष | अलख   |           |

Assistant Engineer  
 Rect. System Sub-Station  
 FBL, Sunder Nagar

Attested

District Revenue Officer  
 District Billaipur

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line / From Substation Kangroo to Substation निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है, यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकृत है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

प्रधान  
 वन अधिकार समिति  
 तह.  
 जिला

26/10/2021

सचिव  
 वन अधिकार समिति  
 तह.  
 जिला

वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा सलजु

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 22.04-2021

प्रस्ताव संख्या (51)

वन अधिकार समिति ग्राम सभा सलजु की बैठक आज दिनांक 22.04-21

12:00 को बजे, स्थान सलजु में श्री / श्रीमति

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

सलजु जंगल / वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. From 220/122/33KV Substation Kangri 132/33KV Substation Kufri के निर्माण के विभाग द्वारा Transmission Line 10 के निर्माण के लिए 0.0527, 0.0452, 0.0033, 0.0010 हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव निवासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों के अन्वये तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क.0 सं० | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|---------|------------------------|-------------|---------------------|
|         |                        |             | FRA Sulma           |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क.0 सं० | पात्र गांव वासी का नाम |
|---------|------------------------|
|         | NIL                    |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

सलजु जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

Attested

District Revenue Officer  
District Bilaspur (M.P.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा



## Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति सलन  
 मुहाल सभा का नाम सलन  
 ग्राम पंचायत का नाम जिजली सट्ट  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या 1  
 उपस्थित सदस्य संख्या 1  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 31

दिनांक 22/09/2021

मुहाल सभा सलन की बैठक आज दिनांक 22/09/2021 को 11:00 बजे  
 स्थान सलन में श्री/श्रीमति राजेश कुमार की अध्यक्षता में की गई व  
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें सलन मुहाल के अनुसार  
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत  
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों  
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर वि  
 चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही भावों का ब्यौरा:-

| क्र० सं | पात्र गांववासी के नाम | मुहाल का नाम | वन अधिकार का ब्यौ |
|---------|-----------------------|--------------|-------------------|
|         |                       |              | FRA सलन           |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति  
 प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र० संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | NIL                   |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल सलन में का  
 वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज  
 वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के  
 अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों व  
 मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

Attested

District Revenue Officer  
 District Bilaspur (H.P.)

वि.अ. सदर, बिजासपुर (हि.प्र.)

वि.अ. सदर, बिजासपुर (हि.प्र.)

वि.अ. सदर, बिजासपुर (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत नियली अट्टेड  
विकास खण्ड अट्टेड जिला बिलासपुर हि0प्र0

दिनांक 22-09-2021

प्रस्ताव संख्या 01

विषय- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV  
Transmission Line 10 के निर्माण

हेतु सलनु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00523, 00452, 00438, 00300

(0-4037) हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत नियली अट्टेड की बैठक आज दिनांक 22-09-2021

को 11.00 बजे स्थान सलनु में की

गई जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV  
Transmission Line 10 के निर्माण हेतु सलनु

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00523, 00452, 00438, 00300

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा

प्रस्तावित 00523, 00452, 00438, 00300 हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line 10 निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सलनु  
की सहमति दी जाती है।

स्थान : सलनु

दिनांक 22-09-2021

District Revenue Officer  
District Bilsapur (H.P.)

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा

प्रमाण

अध्यक्ष  
ग्राम पंचायत  
अट्टेड, बिलासपुर (ह.प्र.)



**FORM 1**  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector, Mandi  
\*\*\*\*  
Dated Mandi, the

07.12.2021

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.1231 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPSEBL for the construction of 132KV line from 220/132/33KV Sub Station, Kangoo to proposed 132/33KV, 2X25/31.5 MVA GIS Sub Station at Kothipura falls within the jurisdiction of Alsu/76 village in Sundernagar Tehsil.

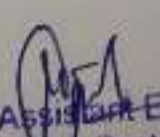
It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1231 Hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.

  
(Arindam Chaudhary, IAS),  
District Collector,  
Mandi District Mandi H.P.

  
Assistant Engineer  
Elec. System Sub-Divn.  
HPSEBL, Sunder Nagar (H.P.)

  
District Revenue Officer  
Mandi, District Mandi

**FORM I**  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector, Mandi  
\*\*\*\*

Dated Mandi, the

07.12.2021

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

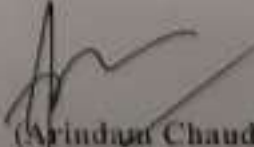
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.0806 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPSEBL for the construction of 132KV line from 220/132/33KV Sub Station, Kangoo to proposed 132/33KV, 2X25/31.5 MVA GIS Sub Station at Kothipura falls within the jurisdiction of Dehar/75 village in Tehsil Sundernagar Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.0806 Hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.

  
(Arindam Chaudhary, IAS),  
District Collector,  
Mandi District Mandi H.P.

  
Assistant Engineer  
Elect. System Sub-Divn.  
HPSEBL, Sunder Nagar (H.P.)

  
District Revenue Officer  
Mandi, District Mandi  
H



E-372929  
7/12/2021  
To DRO  
Sundernagar

Minute of meeting of Sub-Divisional Level Committee(Rural) held under the Chairmanship of Sub-Divisional Officer (Civil) Sundernagar, District Mandi H.P. on 06-12-2021 at 3:00 P.M. Following Officers/ Members participated in the meeting :-

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Sh. Jagdish Chand Sharma | Member Secretary (Tehsildar) |
| 2. Sh. Raj Kumar            | Chairman B.D.C.              |
| 3. Smt. Champa Devi         | B.D.C. Member                |
| 4. Sh. Amaru Ram            | B.D.C. Member                |
| 5. Sh. Virender Thakur      | R.F.O. Suket                 |

Attendance of SDL Committee Members is given in Annexure-I

At the very outset the Sub-Divisional Officer (Civil), Sunder Nagar welcomed all the present. With the permission of Chair following proposals under FRA received from FRCS were put for discussion:-

The member Secretary appraised the house that the cases of 2 revenue villages have been received from various forest Right Committees. That the FRCs have sent the cases with regard to nil claims alongwith Annexure-I and II. Member Secretary read out the detail of all the cases before all the members present, approved and recommended the cases alongwith Annexure-III to the District Level Committee.

The detail of cases is given below :-

| Sr. No. | Name of Gram Panchayat | Name of Revenue Muhal | Claims Received | Remarks |
|---------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 1.      | Dehar                  | 1. Dehar/75           | NIL             |         |
|         |                        | 2. Alsu/76            | NIL             |         |

SDO(Civil),  
Sundernagar, District Mandi, H.P.  
Ph. No. 01907-266001

Endst. No. as above /2021- 4675

Dated 07 December, 2021

Copy forwarded to:-

The Deputy Commissioner, Mandi, H.P. for information and necessary action please.

Encl:- Original Papers.

SDO(Civil),  
Sundernagar, District Mandi, H.P.

Assistant Engineer  
Elect. System Sub-Div.  
HPSC

District Revenue Officer  
Mandi, District Mandi

OFFICE OF THE SDO (CIVIL), SUNDERNAGAR, DISTRICT MANDI,  
H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub Division Level Committee of Sundernagar, Sub- Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of SDO (Civil), Sundernagar on 06-12-2021 at 03:00 P.M. at Sundernagar in which the application (s) of the applicant(s) of Muhal Dehar, claiming rights in FRC Dehar/75, Forest Area(s) under FRA, 2006 Duly processed and recommended by FRC Dehar were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following applicants were found to be in order and recommended for permission to the District Level Committee.

| Sr. No. | Name of Applicant | Name of Forest | Detail of Forest Right |
|---------|-------------------|----------------|------------------------|
|         |                   | -NA-           |                        |

Claims of the following application were not found in order and hence rejected:-

| Sr.No. | Name of the Applications | Name of Forest | Detail of Forest Right |
|--------|--------------------------|----------------|------------------------|
|        |                          | -NA-           |                        |

As informed, no application was received claiming right in Dehar Forest area.

It was suggested and unanimously approved by the member of committee that the community right of the forest dwellers of each of the Muhal as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of Reserve Forest, Protected Forest, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommended such community rights for approval by the District Level Committee.

Place : Sundernagar  
Dated: 6.12.2021

SDO(C)-Cum-Chairmanship  
SDLC, Sundernagar, District Mandi(H.P.)

Assistant Engineer  
Elect. System Sub-Divn.  
H.P., Sundernagar (H.P.)

District Revenue Officer  
Mandi, District Mandi



**OFFICE OF THE SDO (CIVIL), SUNDERNAGAR, DISTRICT MANDI,  
H.P.**

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub Division Level Committee of Sundernagar, Sub- Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of SDO (Civil), Sundernagar on 06-12-2021 at 03:00 P.M. at Sundernagar in which the application (s) of the applicant(s) of Muhal Alsu/76, claiming rights in FRC Alsu/76, Forest Area(s) under FRA, 2006 Duly processed and recommended by FRC Alsu/76 were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following applicants were found to be in order and recommended for permission to the District Level Committee.

| Sr. No. | Name of Applicant | Name of Forest | Detail of Forest Right |
|---------|-------------------|----------------|------------------------|
| -----   | -----             | -NA-           | -----                  |

Claims of the following application were not found in order and hence rejected:-

| Sr.No. | Name of the Applications | Name of Forest | Detail of Forest Right |
|--------|--------------------------|----------------|------------------------|
| -----  | -----                    | -NA-           | -----                  |

As informed, no application was received claiming right in Alsu/76 Forest area.

It was suggested and unanimously approved by the member of committee that the community right of the forest dwellers of each of the Muhal Alsu as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhal Alsu/76 and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of Reserve Forest, Protected Forest, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommended such community rights for approval by the District Level Committee.

Place : Sundernagar  
Dated: 6.12.2021

SDO(C)-Cum-Chairmanship  
SDLC, Sundernagar, District Mandi (H.P.)

Assistant Engineer  
Elect. System Sub-Divn.  
HPSECL, Sundernagar (H.P.)

District Revenue Officer  
Mandi, District Mandi

From

No.SDM/SNR/OK/2021- 4361-65

Sub Divisional Officer (Civil),  
Sundernagar, District Mandi, H.P.

To

1. Forest Officer incharge,  
Sub Division Sundernagar, District Mandi, H.P.
2. Tehsildar,  
Sundernagar, District Mandi, H.P.
3. Shri Raj Kumar  
R/o village Bari, P.O. Dhawal, Tehsil Sundernagar,  
District Mandi, H.P.
4. Smt. Champa Devi W/o Shri Amar Singh.  
V.P.O. Jarol, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.
5. Shri Amaru Singh  
R/o village Patyoda, P.O. Maloh, Tehsil Sundernagar,  
District Mandi, H.P.

Dated Sundernagar

04.12.2021

Subject:-

Regarding F.R.A. Meeting.

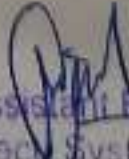
Sir,

On the subject cited above. You are intimated that the meeting regarding F.R.A. held on 06.12.2021 at 03:00pm in the chamber of Sub Divisional Officer (C), Sundernagar.

You are therefore requested to attend the said meeting personally on mentioned date, time and venue please.

Yours faithfully,

  
✓ Sub Divisional Officer (Civil),  
Sundernagar, District Mandi, H.P.

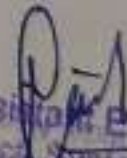
  
Assistant Engineer  
Elect. System Sub-Divn.  
HPSEBL, Sunder Nagar (H.P.)



## हिमाचल प्रदेश सरकार

दिनांक 06.12.2021 को उपमण्डलाधिकारी (नाओ) सुन्दरनगर, जिला मण्डी,  
हि0प्र0 की अध्यक्षता में उपमण्डल सुन्दरनगर में आयोजित की जाने वाली  
F.R.A. से सम्बन्धित बैठक में उपस्थित सदस्यों का व्योरा।

| क्रमांक | नाम व पद     | मोबाईल नम्बर                 | हस्ताक्षर    |
|---------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1.      | Rajkumar     | 8219991061 Chairman<br>B.D.C | Rajkumar     |
| 2.      | Champa Devi  | 7018514513 B.D.C Member      | Champa Devi  |
| 3.      | Amaru Ram    | 9418652864 B.D.C Member      | Amaru Ram    |
| 4.      | Vinod Kumar  | 9418640077                   | Vinod Kumar  |
| 5.      | Manish Kumar | AE(E) 7018288153             | Manish Kumar |
| 6.      |              |                              |              |
| 7.      |              |                              |              |
| 8.      |              |                              |              |
| 9.      |              |                              |              |
| 10.     |              |                              |              |
| 11.     |              |                              |              |
| 12.     |              |                              |              |

  
 Assistant Engineer  
 H.P. Elec. System Sub-Divn.  
 H.P. S.N. Sunder Nagar (H.P.)

वन अधिकार समिति

उलख

हि0प्र0

ग्राम पंचायत

तहसील

जिला

मोडी

आज दिनांक 23.10.2021 को वन अधिकार समिति ग्राम उलख की बैठक अध्यक्ष श्री गान्धी राम की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कारवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या :- 01

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line. Kangoo to AIMS Kothipura के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र। (0.1231 Hectare)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र0 | नाम व पिता / पति का नाम | पदनाम   | ग्राम | हस्ताक्षर      |
|------|-------------------------|---------|-------|----------------|
| 1    | गान्धी राम गिरीराम      | अध्यक्ष | उलख   | गान्धी राम     |
| 2    | गान्धी राम गिरीराम      | सदस्य   | उलख   | हिमा देवी      |
| 3    | हिमा देवी गान्धीराम     | सदस्य   | उलख   | Surinder Kumar |
| 4    | गान्धी राम गिरीराम      | सदस्य   | उलख   | Surinder Kumar |
| 5    | गान्धी राम गिरीराम      | सदस्य   | उलख   | हिमा देवी      |
| 6    | गान्धी राम गिरीराम      | सदस्य   | उलख   | अनना देवी      |
| 7    | गान्धी राम गिरीराम      | सदस्य   | उलख   |                |
| 8    | गान्धी राम गिरीराम      | सदस्य   | उलख   |                |
| 9    | गान्धी राम गिरीराम      | सदस्य   | उलख   |                |
| 10   |                         |         |       |                |

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line / Kangoo to AIMS Kothipura के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

प्रधान

वन अधिकार समिति

गान्धी राम

Kangoo

10/11/2021

सचिव Surinder Kumar

वन अधिकार समिति

तहसील मोडी

जिला मोडी हि0प्र0

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

जिला मोडी

ग्राम पंचायत

जिला उलख



वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति (अलम)

ग्राम सभा \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 23-10-21

वन अधिकार समिति ग्राम सभा \_\_\_\_\_ की बैठक आज दिनांक 23-10-21  
को बजे, स्थान डहर में श्री / श्रीमति \_\_\_\_\_

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

0.1231 Hectare जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.

विभाग द्वारा Transmission Line Kangoo to Kothipura (ALIMS) के निर्माण के लिए 0.1231 Hectare हैबटेयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र. सं. | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्योरा |
|----------|------------------------|-------------|---------------------|
|          | Nil                    | Nil         | Nil                 |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क्र. सं. | पात्र गांव वासी का नाम |
|----------|------------------------|
|          | Nil                    |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

Assistant Engineer  
Elec. System Sub-Divn.  
HPSEB, S. Nagar (H.P.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

अध्यक्ष  
वन अधिकार समिति  
मुख्य वन  
ग्राम सभा  
विकास कार्य (83)

## Annexure-II

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति असु  
 मुहाल सभा का नाम असु  
 ग्राम पंचायत का नाम असु  
 मुहाल सभा सदस्य संख्या \_\_\_\_\_  
 उपस्थित सदस्य संख्या \_\_\_\_\_

प्रस्ताव संख्या 01 (वन अधिकार मुहाल) दिनांक 23-10-21

मुहाल सभा \_\_\_\_\_ की बैठक आज दिनांक 23-10-21 को \_\_\_\_\_ बजे \_\_\_\_\_ स्थान \_\_\_\_\_ में श्री/श्रीमति \_\_\_\_\_ की अध्यक्षता में की गई व

उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है जिसमें \_\_\_\_\_ मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत इस मुहाल सभा के, वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौरा:-

| क्र० सं | पात्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|---------|-----------------------|-------------|---------------------|
|         | <u>Nil</u>            | <u>Nil</u>  | <u>Nil</u>          |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति के प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

| क्र० संख्या | पात्र गांववासी के नाम |
|-------------|-----------------------|
|             | <u>Nil</u>            |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल असु में कोई वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शे वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गये।

Assistant Engineer  
 Forest Sub-Division  
 HP-SEBL, Sunder Nagar (H.P.)

अभिषेक सुन्दरन  
 ग्राम पंचायत  
 असु

मुहाल सभा  
 वन अधिकार समिति  
 असु



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत डेहर  
विकास खण्ड सुन्दरनगर जिला मछी दिनांक 23-10-21

दिनांक

प्रस्ताव संख्या 11

विषय:- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV Transmission Line Kangoo to Kothipura (A.I.M.S.) के निर्माण हेतु Govt. Forest जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.1231 Hectare हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत डेहर की बैठक आज दिनांक 23-10-21 को डेहर स्थान डेहर में की गई जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/संस्था को 132 KV Transmission Line Kangoo to Kothipura (A.I.M.S.) के निर्माण हेतु Govt. Forest Land जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.1231 Hectare हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.1231 Hectare हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kangoo to A.I.M.S. Kothipura निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

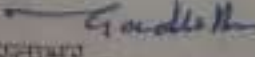
स्थान :

दिनांक

  
Engineer  
Electricity Sub-Div.  
H.P.S.E.B., Sunder Nagar (M.P.)

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा

  
ग्राम सभा  
वन अधिकार प्रणाली  
मुख्य सचिव  
ग्राम पंचायत  
विकास खण्ड सुन्दरनगर

वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत

तहसील

जिला

हिमाचल प्रदेश

आज दिनांक 10-11-2021 को वन अधिकार समिति ग्राम की बैठक आयोजित की गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नलिखित कार्यवाई अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या :- 01

Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग/सेवा को 132 KV Transmission Line. Kangoo to Kothipura (ATIMS) के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र। (0.0506 Hectare)

इस बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के परभावित स्तरीय उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

| क्र.सं. | नाम व पिता / पति का नाम | पदनाम   | ग्राम | हस्ताक्षर   |
|---------|-------------------------|---------|-------|-------------|
| 1       | श्रीमान श्रीमान श्रीमान | अध्यक्ष | डहरा  | Kankey      |
| 2       | श्रीमान श्रीमान श्रीमान | सदस्य   | डहरा  | (Signature) |
| 3       | श्रीमान श्रीमान श्रीमान | सदस्य   | डहरा  | (Signature) |
| 4       | श्रीमान श्रीमान श्रीमान | सदस्य   | डहरा  | (Signature) |
| 5       | श्रीमान श्रीमान श्रीमान | सदस्य   | डहरा  | (Signature) |
| 6       | श्रीमान श्रीमान श्रीमान | सदस्य   | डहरा  | (Signature) |
| 7       | श्रीमान श्रीमान श्रीमान | सदस्य   | डहरा  | (Signature) |
| 8       | श्रीमान श्रीमान श्रीमान | सदस्य   | डहरा  | (Signature) |
| 9       | श्रीमान श्रीमान श्रीमान | सदस्य   | डहरा  | (Signature) |
| 10      | -                       | -       | -     | -           |

इस बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित 132 के.वी. Transmission Line 1 Kangoo to ATIMS Kothipura के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आभासी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से अंगीकारित किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

Assistant Engineer  
Elec. System Section  
HPSEBI, Sunder Nagar (H.P.)

वन अधिकार समिति  
तहसील  
जिला  
हिमाचल प्रदेश

10/11/2021

सचिव  
वन अधिकार समिति  
तहसील  
जिला  
हिमाचल प्रदेश



वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति (ईएर)

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01 (वन अधिकार संकल्प)

दिनांक 10-11-21

वन अधिकार समिति ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक 10-11-21

को बजे स्थान

ईएर

में श्री / श्रीमति

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र जिसमें Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.

विभाग द्वारा Transmission Line Kangoo to Kothipura (AITS) के निर्माण के

लिए 0.0806 Hectare हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है। वन

अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों आवेदनों पर चर्चा की गई

। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के

उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया।

| क्र.सं. | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का धौरा |
|---------|------------------------|-------------|-------------------|
|         | Nil                    | Nil         | Nil               |

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश की है।

रिक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क्र.सं. | पात्र गांव वासी का नाम |
|---------|------------------------|
|         | Nil                    |

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारी का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

Assistant Engineer  
Elect. System Sub-Divn.  
HPSEBL, Sunder Nagar (H.P.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

मुख्य सभा

ग्राम सभा

विकास समिति

जन-जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

368

मुहाल सभा का नाम

ग्राम परम्परागत का नाम

मुहाल सभा सदस्य संख्या

उपस्थित सदस्य संख्या

प्रस्ताव संख्या

05 (वन अधिनियम 210/05)

दिनांक 10-11-21

मुहाल सभा

की बैठक आज दिनांक 10-11-21

स्थान

में श्री. श्रीमति

की अध्यक्षता में की

उपरोक्त मुहाल सभा की संपूर्ण निम्न प्रकार से है जिसमें

जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त हुए ग्रामवासियों

की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन एवं

चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन :

सही दावों का ब्यौता:-

| क्र.सं. | पत्र गांववासी के नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार |
|---------|----------------------|-------------|-----------|
|         | NIL                  | NIL         | NIL       |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-जाति के प्रेषित करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही बनाया गया

| क्र.सं. | पत्र गांववासी के नाम |
|---------|----------------------|
|         | NIL                  |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों निरस्त करने की सिफारिश करती है

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल 368 वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई जाति व वन वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में शामिल सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन सभा अधिकारों को सही पाया गया एवं तत्काल अधिकारों दावे को स्वीकार किया गया। वन की मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएं वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

प्रधान वन अधिकारी

Engineer  
Forest Sub-Div.  
H.S. Nagar (H.P.)

निदेश

368



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के सम्बन्ध में  
अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत

विकास खण्ड

सुन्दरनगर

जिला मण्डी

दिनांक 10-11-21

पन्ना संख्या 01

विषय- Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV  
Transmission Line Kangoo to Kothipura (AIIMS) के निर्माण  
हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0806 Hectare  
हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत \_\_\_\_\_ की बैठक आज दिनांक 10-11-21

का \_\_\_\_\_ बजे \_\_\_\_\_ स्थान डैर में हुई

गई जिसने Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd विभाग द्वारा 132 KV

Transmission Line Kangoo to Kothipura (AIIMS) के निर्माण हेतु Govt.

Forest Land जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0806 Hectare

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई

सभी ग्रामवासियों से सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को  
पूरी तरह समझने की बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव  
के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (उन  
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के निपटारे पर भी चर्चा की  
गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन  
अधिकारों के दावों निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा  
प्रस्तावित 0.0806 Hectare हेक्टेयर वन भूमि को 132 KV Transmission Line Kangoo  
to Kothipura AIIMS निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा M.L.  
की सहमति दी जाती है।

स्थान : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

Assistant Engineer  
Elect. System Sub-Divn.  
HPSEBL, Sunder Nagar (H.P.)

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा

मुख्य सभा

ग्राम पंचायत

विकास खण्ड सुन्दरनगर (H.P.)